Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर — CNR NUMBER 2019/00110

Number of Case A/179/ Year 2024

रणछोड़ सिंह Versus भुवनेश सिंह व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उप०। वकील बहस प्रा. पत्र हेतु समय चाहते है। पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके है बावजूद बहस हेतु तैयार नहीं है - न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। अन्यथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उचित आदेश पारित कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 हेतु आदेश दिनांक 20/4/26 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
20/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते उचित आदेशार्थ प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 हेतु आदेश दिनांक 12/5/26 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
12/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील पर मनन किया गया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER 2018/00110

Number of Case A/179/Year 2024

रणछोड़ सिंह Versus भुवनेश सिंह व अन्य

U/s - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. 1955 भली-भांति साबित न होने व सारहीन होने से खारिज अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर — सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/179/2024 (GCMS No 2018/00110)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थी :–

रणछोड़सिंह पुत्र श्री गोमाराम जी जाति माली निवासी बेरा बारली मण्डावता, मण्डोर, जोधपुर

– : बनाम् : –

अप्रार्थीगण :–

1. भुवनेशसिंह पुत्र स्व० दुष्यन्तसिंह कच्छवाह जाति माली निवासी तारासर बेरा, नागौर रोड़, मण्डोर, जोधपुर।
2. मैसर्स अभय स्टोन, स्टोन पार्क, रिको ऐरिया, नागौर रोड, जरिये प्रोपराईटर बाबूलाल पुत्र हजारीमल जी जाति माली गहलोत, निवासी सी/० (केअर ऑफ) मैसर्स अभय स्टोन।
3. रिजनल मैनेजर रिको, जोधपुर सेक्टर 7, उद्योग भवन, न्यू पावर हाउस के पास, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, बासनी जोधपुर।

– : : निर्णय : : – दिनांक : 12.05.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री सुगनमल परिहार व सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लादूराम पूनिया व अन्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री ललित पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

ग्राम मण्डोर प्रथम तहसील जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नं. 68 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बीघा 11 बिस्वां 05 बिस्वांसी भूमि का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है एवं मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व के खातेदार से क्रय की थी एवं बेचान के आधार पर प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये गये। प्रार्थी की क्रयसुदा उपरोक्त भूमि एक पटटी के रूप में

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

उत्तर से दक्षिण स्थित है इसके पश्चिम में बावण्डरी वॉल बनी हुई है बॉवण्डरी वॉल के बाद रिको ऐरिया में स्टोन पार्क स्थित है जिसमें विभिन्न तरह की स्टोन कटिंग मशीनें लगी हुई है। अप्रार्थी संख्या तीन रीको क्षेत्र मण्डोर जोधपुर रिजनल मैनेजर एवं इस क्षेत्र में स्टोन पार्क में स्थित तमाम स्टोन कटिंग मशीनो का संचालन रिको द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मशीन मालिको द्वारा किया जाता है तथा नियमानुसार कोई भी पत्थर कटिंग फेक्ट्री का मालिक ऐसी कोई गतिविधिया संचालित नहीं कर सकता जिस कारण उसके पास पड़ौस में किसी तरह का कोई प्रदुषण पैदा हो। अप्रार्थी संख्या एक के रिश्तेदार बाबूलाल की स्टोन कटिंग की मशीन रिको ऐरिया में अभय स्टोन के नाम से लगी हुई है जो फेक्ट्री खसरा नं. 68 के पश्चिम में बनी हुई दिवार के बाद स्थित है। अप्रार्थी संख्या एक एवं अप्रार्थी संख्या दो आपस में मिले हुए है उनकी नियत प्रार्थी को खसरा नं. 68 की उसकी खातेदारी की भूमि से वंचित कर उस पर कब्जा करते हुए जबरन निर्माण कर लेने की है इसी कारण खसरा नं. 68 एवं स्टोन पार्क के बीच बनी दिवार को यदाकदा अप्रार्थी संख्या एक व दो क्षतिग्रस्त कर स्टोन कटिंग मशीन से निकलने वाले गन्दे व प्रदुषित पानी को खसरा नं. 68 की भूमि पर बहा देते है एवं गंदे पानी के साथ फेक्ट्री का कचरा भी प्रभावित कर देते है। प्रार्थी ने हाल ही में दिनांक 25.08.2018 को अप्रार्थीगण एक व दो से यह समझाईस की कि वे अपनी स्टोन कटिंग मशीन से गंदा व प्रदुषित पानी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 68 में प्रभावित कर इसकी उपजाउता नष्ट नहीं करे परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की एक भी बात नहीं सुनी एवं प्रार्थी से झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा कहां की पानी तो ऐसे ही बहेगा एवं मौका पाकर वे बीच की दिवार को पूर्ण रूप से हटाकर खसरा नं. 68 की पुरी भूमि पर ही कब्जा कर निर्माण कर लेंगे। अप्रार्थीगण ने दो दिन पूर्व खसरा नं. 68 की भूमि से थोड़ा दुर लाकर बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक डालना शुरू कर दिया एवं कहां की वह मौका पाकर खसरा नं. 68 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लेंगे। अप्रार्थीगण की उपरोक्त नाजायज हरकतो से स्पष्ट है कि वे गैर कानूनी गतिविधिया करने पर आमादा है एवं किसी भी बात न सुनकर प्रार्थी की भूमि पर जबरन गंदा पानी प्रभावित कर उसकी उपजाउता को समाप्त करना चाहते है एवं बीच में बनी हुई दिवार को तोड़कर खसरा नं. 68 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण करवाने पर उतावले हो रहे है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी एवं गैर जिम्मेदाराना हरकतो से प्रार्थी को हेरान व परेशान करने पर उतारू है जिनको ऐसा करने के अधिकार नही है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त हरकतों को देखते हुए अब प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय में यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं अपने अधिकारो की रक्षा के लिए प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह वाद पेश कर रहा है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है मामले के हालात को देखते हुए न्याय के हित मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी है अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर बनी दिवार को तोड़कर इस पर जबरन कब्जा करते

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

हुए निर्माण कार्य करवा लेंगे तथा गन्दा पानी डालकर जमीन की उपजाउता समाप्त कर देंगे जिससे मौके के हालात बदल जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपार नुकशान होगा तथा वाद पेश करने का उददेश्य निष्फल हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 68 में अप्रार्थीगण संख्या एक व दो गन्दा पानी प्रवाह नहीं करे, दिवार को क्षतिग्रस्त नहीं करे तथा इस पर कब्जा नहीं करे तथा प्रार्थी की भूमि निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार व सिद्धार्थ परिहार ने तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया व अन्य ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद तामील आज दिनांक तक उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय आदेशिका 02.06.2025 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 सर्वथा गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है तथा ग्राम मण्डोर प्रथम के ख.नं. 68 में प्रार्थी का 2 बीघा 11 बिस्वा 5 बिश्वांशी भूमि के मौके पर कब्जा होने के तथ्य बेबुनियाद एवं गलत है। जबकि ख.नं. 68 की भूमि जागीर काल से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से बहुत पहले से अप्रार्थी संख्या 1 उतरदाता के दादा स्व. जगदीशसिंह जी अकेले का काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा इसका लगान अदा करते थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने भूल से जगदीश सिंह जी के बड़े भाई आनन्द सिंह जी का नाम सामलात में दर्ज कर दिया। बाद में 1977 में आनन्द सिंह जी का देहांत हो गया, उसके बाद खातेदारी का नामांतकरण संख्या 507 ग्राम मण्डोर भरा गया, तब आनन्द सिंह जी के विधिक उतराधिकारियो का विवादित ख.नं. 68 पर कब्जा नही होने से तथा उक्त भूमि पर कब्जा अकेले जगदीश सिंह जी का होने से उनकी खातेदारी जगदीश सिंह जी के नाम से दर्ज करने की सहमत होने से विधिक उतराधिकारियो ने विरासत में अपना नाम दर्ज नही करवाया, इसके बहुत समय बाद जमीन के भाव बढने से एवं मन मे बदनियति होने से आनन्द सिंह जी के वारिसान यशवन्त सिंह वगैरा ने उनके देहांत के 36 वर्ष बाद विरासत का बिना भूमि के कब्जे के नामांतकरण संख्या 2522 दिनांक 18.09.2013 बाले बाले पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज करवाया तथा जब यशवंत सिंह वगैरा का स्वीकृत रूप से भूमि पर कब्जा नही आया तथा बेचानकर्ता यशवंत सिंह वगैरा के विरूद्ध भूमि के बेचान हस्तानांतरण नही करने की मान्यवर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञ जारी कर रोक लगाई गयी है, उक्त आदेश का उल्लंघन कर यशंवत सिंह वगैरा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में

किया गया बेचाननामा गैर कानूनी एवं शुन्य है, जिससे प्रार्थी को भूमि के खातेदारी हक प्राप्त नही होते है तथा कब्जे का हस्तानांतरण करने व भूमि का कब्जा प्रार्थी को मिल जाने का तथ्य गलत साबित हो जाता है। इसके अलावा भी प्रार्थी ने भूमि संयुक्त खातेदारी की बताकर भूमि को खरीद करना बताया है, संयुक्त खातेदारी की भूमि मे भी अजनबी खरीददार भूमि का विभाजन करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकता है तथा खरीद से कब्जा प्राप्त नही होता है इस प्रकार प्रार्थी ने मौके पर भूमि पर काबिज होने का तथ्य सर्वथा मिथ्या व मनगढंत आधारो पर वर्णित किया है तथा इसके अलावा प्रार्थी की खरीद से उसके नाम दर्ज किये गये नामांतकरण संख्या 2610 में मौके पर कब्जा प्राप्त हो जाने का पटवारी की रिपोर्ट मे कोई उल्लेख नही है तथा सामलाती भूमि मे खरीददार को कब्जा प्राप्त नही होता है इसप्रकार प्रार्थी का मौके पर कब्जा नही होना स्पष्ट हो जाता है तथा बिना कब्जे के प्रार्थी के नाम तैयार किये गये राजस्व रेकर्ड का कोई महत्व नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में विवादित भूमि ख.नं. 68 उत्तर दक्षिण एक पटटी के रूप में होने का तथ्य सही है प्रार्थी ने इस पद में उक्त ख.नं. के पश्चिम मे एकतरफ बाउण्ड्रीवाल होना गलत बताया है जबकि इसके चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल अप्रार्थी उतरदाता के दादाजी स्व. जगदीश सिंह जी के द्वारा फाचरो की तथा कुछ जगह पक्की दीवार काफी अर्से पुरानी बनायी गयी थी, जो मौके पर मौजूद है तथा जिसके अंदर उक्त भूमि है जो शुरू से लगातार सिंचित भूमि रही है जिसमे अप्रार्थी पीढियो से सिंचाई करके काश्त करता आ रहा है तथा प्रार्थी ने इस पद मे ख.नं. 68 के पश्चिमी बाउण्ड्री वाल के बाद रिको एरिया मे स्टोन पार्क स्थित होने का तथ्य का पूर्ण विवरण नही दिया है। जबकि पश्चिमी बाउण्ड्री वाल के बाद 40 फिट चौडी रिको की सडक है तथा उस सड़क के बाद स्टोन कटिंग की फैक्ट्रिया आती है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 3 रिको क्षेत्र मण्डोर का रिजीनल मैनेजर होने के तथ्य पर कोई विवाद नही है तथा स्टोन पार्क में स्थित तमाम मशीनो का संचालन रिको के नियमानुसार ही हो रहा है तथा मौके पर किसी प्रकार का फैक्ट्रियों द्वारा प्रदुषण फैलाया हुआ नही है तथा फैक्ट्रिया 40 फिट रोड के बाद आती है तथा पत्थर कटिंग का बूरा भी रिको क्षेत्र सीमा में ही रहता है आस–पाडौस मे फैलाने की बात गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में विवादित भूमि ख.नं. 68 की पश्चिमी दीवार के पास अभय स्टोन फैक्ट्री लगी होने का तथ्य सर्वथा गलत है, जबकि अभय स्टोन ख.नं. 68 के बाद 40 फिट रोड़ के बाद आता है, प्रार्थी ने जानबुझकर गलत तथ्य वर्णन कर अभय स्टोन को ख.नं. 68 की दीवार के पास होना बदनियति से गलत वर्णन किया है, जबकि अभय स्टोन ख.नं. 68 के पाडोस में लगती हुई आयी 40 फीट रोड के बाद आता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य सर्वथा गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी ने मौके के तथ्यो को तोड़ मरोडकर प्रस्तुत किया है, इस पद में यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 आपस मे मिले हुए है तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

ख.नं. 68 पर जबरन निर्माण करना चाहते है। इसके वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि ख.नं. 68 पर खेती होती है तथा इस पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का पीढियो से चला आ रहा है। आज भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है तथा प्रार्थी का इस पर कोई कब्जा नही है तथा उक्त खसरा संख्या 68 के बाहरी सीमा पर फाचरो की व कहीं कही पत्थरो की दीवार पुरानी अप्रार्थी संख्या 1 के दादा द्वारा बहुत पहले बनाई गयी थी, जिसका कुछ भाग पर जरजर होकर गिर जाने से उसी जगह पुन: फाचरों की दीवार अप्रार्थी संख्या 1 बना रहा है जो खेत की रखवाली के लिये आवश्यक है। प्रार्थी ने इस पद के शेष भाग में कटिंग मशीन से निकलने वाले गंदे व प्रदुषित पानी को ख.नं. 68 की भूमि पर बहा देने का तथ्य सर्वथा मिथ्या वर्णन किया है, जो अस्वीकार है। जबकि फैक्ट्री का कोई पानी ख.नं. 68 मे नही आता है फैक्ट्रीयो का पानी रिको एरिये मे बने नाले से होकर बाहर जाता है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 में सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य परहोने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से स्टोन कटिंग मशीन का गंदा व प्रदुषित पानी ख.नं. 68 मे प्रवाहित कर इसकी उपजाउता नष्ट नही करने बाबत समझाईश का तथ्य भी गलत वर्णन किया है जबकि ख.नं. 68 में किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री का गंदा व प्रदुषित पानी नही आता है तथा विवादित भूमि ख.नं. 68 पर अप्रार्थी संख्या 1 उतरदाता का कब्जा काश्त है तथा यह भूमि सिंचित भूमि है जिस पर हर वर्ष अप्रार्थी संख्या 1 सिंचाई करके फसल लेता आ रहा है, जिसके उपजाउपन को नष्ट करने की बात प्रार्थी ने बेबुनियाद एवं केवल अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने के लिये झुठी गढ़कर प्रस्तुत की है। जिसका कोई अर्थ नही है। प्रार्थी को बेचानकर्ता का मौके पर ख.नं. 68 पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा प्रार्थी एक अजनबी खरीददार की श्रेणी में तथा अजनबी खरीददार को भूमि का विभाजन प्राप्त किये बिना सामलाती खातेदारी भूमि पर कभी कोई कब्जा प्राप्त नही होता है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई कब्जा भूमि पर नही है व प्रार्थी का मौके पर दिनांक 25.08.2018 को समझाईस करना तथा अप्रार्थी द्वारा झगड़ा करने पर उतारू होना व पूरी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लेने का कहने का तथ्य गलत है तथा इस प्रकार का कहने का कोई प्रश्न भी पैदा नही हुआ, इस कारण प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने के योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 में सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य पर होने से अस्वीकार है तथा अप्रार्थीगण द्वारा दो दिन पूर्व ख.नं. 68 की भूमि मे लाकर पत्थर के बड़े बडे ब्लाक लाकर डालना शुरू कर देने का तथ्य भी सर्वथा मिथ्या है। जबकि ख.नं. 68 पर अप्रार्थी उतरदाता का किसी प्रकार के निर्माण की कोई बात नही है तथा अप्रार्थी उत्तरदाता ख.नं. 68 के बाहरी सीमा पर बाड़ की जगह जरजर हुई फाचरो की दीवार को खेत की रखवाली के लिये

पुनः तैयार किया जाना आवश्यक हो जाने से बना रहा है तथा अन्य कोई निर्माण करने की बात गलत है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 में सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य परहोने से अस्वीकार है तथा अप्रार्थी गैरकानूनी गतिविधियां करने पर आमादा होने का तथ्य भी सर्वथा गलत व कपोल कल्पित वर्णन किया गया है। जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का गंदा पानी ख.नं. 68 मे नही आता है तब उसकी उपजाउपन समाप्त करने की बात अपने आप में झूठी साबित हो जाती है तथा इस पद में बीच की बनी हुई दीवार को तोड़कर भूमि पर निर्माण करने पर उतावले होने का तथ्य मनगढंत लिखा गया है, जबकि मौके पर ऐसी कोई बात नही है तथा खेत की बाहरी जरजर दीवार को ठीक करने के अलावा अन्य कोई निर्माण नही किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 9 में सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य परहोने से अस्वीकार है तथा यह गलत है कि प्रार्थी गैर कानूनी व गैर जिम्मेदारान हरकतें करके प्रार्थी को परेशान करता है, जबकि प्रार्थी एक अजनबी खरीददार से अधिक कुछ भी नहीं हैं जिसका भूमि पर कोई कब्जा नही है। जिसको परेशान करने की कोई बात भी नही है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये यह निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा उसका उक्त वाद चलने योग्य भी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 10 में सर्वथा मिथ्या व गलत तथ्य परहोने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी के पक्ष मे किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का तुलनात्मक संतुलन होने का तथ्य भी गलत है तथा प्रार्थी अजनबी खरीदार किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 जो भूमि पर पीढियो से काबिज है, जिसको भूमि की व उसकी फसल की सुरक्षा के लिये फाचरो की चार दीवारी बनाने आदि का हक अधिकार प्राप्त है। जिसको रूकवाने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि के चारो तरफ बनी जरजर दीवार को तथा कही कही गिरी दीवार को ठीक करके व दीवार सुधार कार्य कर रहा है तथा जबरन दीवार तोड़कर कब्जा करने की बात गलत है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 पीढियो से काबिज है एवं निरन्तर काश्त करते आ रहा है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा गंदा पानी डालकर जमीन की उपजाउपन समाप्त कर देने व मौके के हालात बदल देने की कोई प्रश्न भी पैदा नही होता है तथा प्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नही है तब उसको किसी प्रकार की कोई क्षति होने की सम्भावना नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 11 में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा होने के तथ्य का गलत वर्णन किया है जबकि प्रार्थी अजनबी खरीदार को सामलाती भूमि पर बिना विभाजन के किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है तथा प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र कानूनी चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने के योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

विवादित भूमि ख.नं. 68 की बाबत एक दीवानी वाद संख्या 32/1974 जिसके नये नम्बर 28 2007 है जो माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 जोधपुर महानगर मे लंबित चल रहा है जिसमे उक्त भूमि के बेचान पर दिनांक 06.03.1992 से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करके रोक लगायी हुई है प्रार्थी ने उक्त माननीय दीवानी न्यायालय के आदेश के उल्लघन कर बेचाननामा अपने पक्ष मे लिखवाया है जो बेचाननामा मान्यवर न्यायालय के आदेश के उल्लंघन मे होने से शुन्य है एवं स्वतः ही निरस्त है जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार का भूमि पर हक अधिकार प्राप्त नही होता है तथा मान्यवर दीवानी न्यायालय मे उपरोक्त वाद व कार्यवाही के लंबित रहते अन्य प्रकार का कोई दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का उपरोक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र कानूनी चलने योगय नही है इस कारण भी प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय हर्जे व खर्चे के खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 03 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि–

सम्पूर्ण वादपत्र एवं इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता रीको द्वारा न तो स्टॉन पार्क से निकलने वाले गंदे पानी को प्रार्थी की कृषि भूमि की तरफ प्रवाहित कर रहा है और न ही रीको द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया है जिससे प्रार्थी को उसे रोकने का अधिकार प्राप्त हो। सम्पूर्ण वादपत्र में एवं इस प्रार्थनापत्र में प्रार्थी ने ऐसा भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि रीको ने प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि बाबत कोई दखलअंदाजी की हो। सम्पूर्ण वादपत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी रीको के विरूद्ध न तो कोई वादकारण उत्पन्न होना दर्शित किया है और न ही कोई रिलीफ ही क्लेम की है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को अप्रार्थी रीको के विरूद्ध कोई भी वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही ऐसा वादकारण उत्पन्न होना दर्शित किया गया है। अतः प्रार्थी का मूलवाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के तहत प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित कथन विवादित नहीं है। यहां यह उल्लेखित करना उचित होगा कि रीको द्वारा लीज पर स्टॉन पार्क में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्डों का आवंटन किया गया है व आवंटियों के पक्ष में लीजडीड

का निष्पादन किया गया है। यदि किसी आवंटी द्वारा लीजडीड अथवा आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्व रीको के नियमों के तहत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या पांच में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि इस पद में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको से संबंधित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या छः में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि इस पद में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको से संबंधित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि इस पद में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको से संबंधित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या आठ में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि इस पद में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको से संबंधित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या नौ में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं इस पद में वर्णित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह उल्लेखित करना भी उचित होगा कि इस पद में वर्णित कथन उत्तरदाता रीको से संबंधित न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। यहां यह भी उल्लेखित उचित होगा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या–5 से 8 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व लगाये गये आरोपों के लिए अनावश्यक रूप से इस पद में अप्रार्थीगण शब्द गलत रूप से उपयोग किया है जबकि इस पद में भी प्रार्थी का आशय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध आरोप लगाने का ही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दस में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये अनुसार प्रार्थी के पक्ष में न तो कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने उत्तरदाता रीको को अनावश्यक रूप से पक्षकार के रूप में संयोजित किया है और कोई अनुतोष भी क्लेम नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या ग्यारह में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को मूलवाद में अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी रीको के विरूद्ध सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा यह जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 रीको

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

लिमिटेड सव्यय निरस्त फरमाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश जो अप्रार्थी संख्या 3 रीको के पक्ष में हो, वह भी प्रदान किया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् तथा जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उभयपक्षकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

प्रार्थी रणछोड़सिंह पुत्र गोमाराम द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वाद के अंतिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 68, ग्राम मण्डोर प्रथम, तहसील एवं जिला जोधपुर में हस्तक्षेप करने, कब्जा करने, निर्माण कार्य करने, बीच की दीवार को क्षतिग्रस्त करने तथा कथित रूप से गंदे एवं प्रदूषित पानी का प्रवाह करने से रोका जाए।

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के समस्त कथनों का खंडन किया है तथा यह कहा है कि प्रार्थी केवल क्रेता है, उसे विवादित भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके पूर्वज लंबे समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। यह भी कहा गया है कि संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन हुए बिना प्रार्थी किसी निश्चित हिस्से पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 रिको लिमिटेड ने भी पृथक जवाब प्रस्तुत कर कहा है कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कारण–कार्यवाही नहीं बनती तथा प्रार्थी ने उसके विरुद्ध किसी विधि–विरुद्ध कार्य का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, पक्षकारों के कथनों एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमांकन एवं उपयोग को लेकर गंभीर एवं जटिल विवाद विद्यमान है। प्रार्थी ने यद्यपि अपने नाम राजस्व अभिलेख एवं क्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तथापि केवल राजस्व प्रविष्टियाँ अपने आप में वास्तविक एवं भौतिक कब्जे का निर्णायक प्रमाण नहीं मानी जा सकतीं। दूसरी ओर अप्रार्थियों ने दीर्घकालीन कब्जा एवं काश्त का दावा किया है। इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता कि विवादित भूमि के उस विशिष्ट भाग पर, जिसके संबंध में निषेधाज्ञा चाही गई है, प्रार्थी का निर्विवाद एवं वास्तविक कब्जा है। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

जहाँ तक प्रथम दृष्टया मामला का प्रश्न है, प्रार्थी यह प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि उसे विवादित भूमि के विशिष्ट भाग पर ऐसा स्पष्ट एवं निर्विवाद अधिकार प्राप्त है, जिसके संरक्षण हेतु तत्काल अंतरिम राहत आवश्यक हो। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की प्रतीत होती है तथा विभाजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इस स्तर पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता।

2. **सुविधा का संतुलन :–**

सुविधा का संतुलन के संबंध में यह न्यायालय पाता है कि प्रार्थी का कब्जा स्वयं विवादित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लंबे समय से काश्त एवं उपयोग का दावा किया गया है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना वस्तुतः अंतिम राहत देने के समान होगा। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता।

3. **अपूरणीय क्षति :–**

इस बिंदु के संबंध में भी प्रार्थी यह प्रदर्शित नहीं कर सका है कि उसे ऐसी क्षति होने की संभावना है जिसकी प्रतिपूर्ति वाद के अंतिम निर्णय अथवा अन्य विधिक उपायों से संभव न हो। यदि अंततः प्रार्थी अपने अधिकार सिद्ध कर देता है तो उसे विधि अनुसार उपयुक्त राहत प्राप्त हो सकेगी। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी स्थापित नहीं होता।

अतः न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक तीनों तत्व – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – स्थापित करने में असफल रहा है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रैक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(फॉरेस्ट ट्रैक) जोधपुर